



हिमाचल प्रदेश सरकार  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग  
(Application for Giving Up Subsidized Ration)

JAGRUK  
UPBHKTA  
SHRAKSHIT  
UPBHKTA

W/o/ D/o S/o Sh.

resident of Village/Ward No. \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_

Teh. \_\_\_\_\_ Distt. \_\_\_\_\_ along with my family members mentioned in Ration Card No. H P - [ ] - [ ] voluntarily surrender all subsidized ration admissible to me and my family members under Targeted Public Distribution System and State Special Subsidized Scheme from the month of \_\_\_\_\_ and shall also not claim the same in future. None of my family members has any objection in surrendering the subsidized ration.

Place:- \_\_\_\_\_

( )  
Signature of Ration Card holder

Date:- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Aadhaar Number [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Mobile Number [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Name & Code No. of Fair Price Shop \_\_\_\_\_

FPS ID [ ] [ ] [ ]

(अनुदानित राशन खेच्छापूर्वक अभ्यर्पण करने बारे आवेदन)

गैरि.....पत्नी/सुपुत्री/सुपुत्रश्री.....निवासी गांव/  
वड़ा.....डाकघर.....तहसील.....जिला.....

अपने परिवार के सदस्यों सहित जिनका राशन कार्ड कमांक, H P - [ ] - [ ]  
खेच्छा से लंकित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राज्य विशेष अनुदानित योजना के अन्तर्गत मिलने वाले  
राशन का अभ्यर्पण करती हूँ/करता हूँ तथा भविष्य में भी इस बारे कोई दावा नहीं करेंगे। मेरे  
इस निर्णय पर उच्च राशन कार्ड में वर्णित परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान : \_\_\_\_\_

( )  
राशन कार्ड धारक/परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर.

आधार कार्ड नं 0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

मोबाइल सं 0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

उचित मूल्य की दुकान का नाम व कोड संख्या \_\_\_\_\_

दिनांक:- P P M M Y Y Y V  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

कोड संख्या [ ] [ ] [ ]

Acknowledgement regarding surrender of subsidized Ration/Ration Card

Received application form for voluntarily surrendering subsidized Ration from Smt/Sh.

W/o /D/o / S/o Sh/

(Aadhaar Number [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] )

issued to Ration Card holders under Targeted Public Distribution System and State Special Subsidized Scheme.

Place:- P P M M Y Y Y V  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Designation and Signatures of receiving Official

Date:-

P P M M Y Y Y V  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

This form can be downloaded from department website [www.cfps.co.in](http://www.cfps.co.in), <http://admis.hp.nic.in/chimapurti>

अनुदानित राशन स्वेच्छापूर्वक अभ्यपर्ण आवेदन हेतु प्रक्रिया/दिशा-निर्देश :-

1. आवेदक को केवल विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म पर ही आवेदन करना होगा । यह आवेदन फार्म, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (निरीक्षक कार्यालय, जिला नियन्त्रक कार्यालय व निदेशालय, शिमला) तथा स्थानीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त यह फार्म विभागीय वैबसाईट <http://admis.hp.nic.in/ehimapurti/welcome.asp> तथा [epds.co.in](http://epds.co.in) पर भी उपलब्ध है ।
2. आवेदन फार्म खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त आवेदन, स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय व स्थानीय शहरी निकायों के कार्यालय में भी दिए जा सकते हैं । ग्राम पंचायतें व स्थानीय शहरी निकाय इन आवेदनों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निकटतम कार्यालय को सौंपेंगे । फार्म प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को फार्म प्राप्ति की रसीद / पावती आवेदक को देनी होगी ।
3. ईच्छुक आवेदक अनुदानित राशन अभ्यपर्ण (Surrender/Giveup) करने हेतु विभागीय वैबसाईट [epds.co.in](http://epds.co.in) पर भी आवेदन कर सकते हैं । ऑनलाईन आवेदनों पर क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।
4. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय (सम्बन्धित जिला कार्यालय व निदेशालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला) इन आवेदनों को सम्बन्धित निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को राशन कार्ड ब्लॉक करने/राशन बन्द करने की कार्यवाही के आशय से भेजेगा ।
5. सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा अनुदानित राशन बन्द करने की पुष्टि आवेदक व सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान को की जाएगी ।

\*\*\*

22/10/2016  
(Joint Director FCS&C)